मुकदमा नं. 2155/17

तारीख रजू.....

माया **बनाम** लीला

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.08.2017	वकील सायला उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील सायला ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायला ने शपथ पत्र, नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया। वकील सायला को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायला के पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से जबाव पेश होने तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0नं0 414 रकबा 0.30 हे0 व 434 रकबा 0.06 हे0 है. ,वाके ग्राम सामौली तहसील कठूमर में रिकार्ड मौके की यथा स्थिति बनाये रखें। अप्राथीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 26.09.2017 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 26.09.2017 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
6/09/17	अप्रार्थीया का वकील उपस्थित। अप्रार्थीया ने जा0 पत्र पेश कर निवेदन किया कि सायला वगैरा मिसलात के अन्दर कोई विवाद नही है। अतः खारिज करने का निवेदन किया। मूल वाद भी खारिज किया हो गया है अतः बाबत 212 RTA खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के संलग्न रखी जावे माया	